डीजी परिपत्र संख्या-22/2019

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः जून 15,2019

विषयः- सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों की गुणवत्तापरक विवेचना के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि वर्तमान परिवेश में कम्प्यूटर के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, ऐसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अभियोगों में वृद्धि अवश्यम्भावी है। ऐसे अभियोगों की विवेचना के तत्परता से निस्तारण एवं गुणात्मक रूप से विधिसंगत विवेचना किये जाने हेतु मुख्यालय से समय-समय पर पार्श्वांकित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट uppolice.gov.in पर उपलब्ध है।

डीजीपीपरिपत्र संख्या-03/19 दिनांक 12.01.19
डीजीपीपरिपत्र संख्या-54/18 दिनांक 04.10.18
डीजीपीपरिपत्र संख्या-22/18 दिनांक 13.05.18
डीजीपीपरिपत्र संख्या-06/17 दिनांक 26.03.17
डीजीपीपरिपत्र संख्या-17/16 दिनांक 15.03.16
डीजीपीपरिपत्र संख्या-01/16 दिनांक 08.01.16
डीजीपीपरिपत्र संख्या-48/15 दिनांक 28.06.15
डीजीपीपरिपत्र संख्या-47/15 दिनांक 24.06.15
डीजीपीपरिपत्र संख्या-75/13 दिनांक 31.12.13
डीजीपीपरिपत्र संख्या-44/13 दिनांक 05.08.13

मुख्यालय स्तर पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों की समीक्षा करने पर पाया गया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों की विवेचनाओं में अपेक्षाकृत अधिक योग्य एवं तकनीकी रूप से शिक्षित पुलिस अधिकारियों के होते हुए भी विवेचनाओं का गुणवत्तापरक निस्तारण नही हो पा रहा है। Digital अथवा Electronic Evidence तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे-पृथक-पृथक विषयों के सम्बन्ध में थाना प्रभारियों/विवेचकों को स्पष्ट ज्ञान न होने के कारण जहॉ पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्राविधान लागू नही होते हैं, वहॉ भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारायें लगा दी जा रही है जो आपत्तिजनक होने के साथ ही विधि अनुकूल नहीं हैं। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारायें उन्हीं अपराधों में लगायी जाये जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्राविधानों से आच्छादित हो।

यह भी संज्ञान में आया है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित किये जाने के उपरान्त भी इस धारा का अभियोग के पंजीकरण में समावेश किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कड़ी आपत्ति प्रकट की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद प्रभारी तथा उनके अधीन कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (अपराध) द्वारा इन अपराधों की विवेचनाओं के गुणवत्तापरक निस्तारण में अपेक्षित मार्गदर्शन प्रदान नही किया जा रहा है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु आपके अनुपालन/मार्गदर्शन हेतु निम्नांकित बिन्दु सुझाये जा रहे हैः-

- सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2008 की धारा 43 में कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर नेटवर्क आदि को क्षतिग्रस्त करने और पीड़ित को क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने विषयक प्राविधान इस अधिनियम की धारा 43 की उपधारा A से लेकर J तक में वर्णित है। इस धारा के प्राविधानों के उल्लंघन के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65 में दण्ड की व्यवस्था की गयी है।

- सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2008 की धारा 65 कम्प्यूटर संसाधन से छेड़छाड़ के लिए, धारा 66 ख चुराये गये कम्प्यूटर, संसाधन या संचार युक्ति को बेइमानी से प्राप्त करने के लिए दण्ड का प्राविधान करती है। इसी प्रकार धारा 66(ग) पहचान (पासवर्ड या किसी अन्य पहचान चिन्ह) की चोरी के लिए दण्ड एवं धारा 66 (घ) कम्प्यूटर संसाधन का

Scanned by CamScanner

प्रयोग कर प्रतिरूपण द्वारा छल करने लिए दण्ड व धारा 66 (न) एकान्तता के अतिक्रमण के लिए दण्ड का प्राविधान व धारा 66(च) में साइबर आतंकवाद के लिए दण्ड का प्राविधान करती है। इसी प्रकार धारा 67 अश्लील सामग्री का इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन के लिए दण्ड, धारा 67क कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन के लिए दण्ड एवं धारा 67बी इलैक्ट्रानिक माध्यम से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, के अपराधों में दण्ड के लिए प्राविधान किया गया है।

- सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, भा0द0वि0 व अन्य अधिनियम की धाराओं के अपराधों में कम्प्यूटर या उससे सम्बन्धित उपकरण (Devices), इलैक्ट्रानिक उपकरण, साफ्टवेयर एप्लीकेशन आदि प्रयोग में लाये जाते है यह इलेक्ट्रानिक अथवा Digital Evidence होंगे, किन्तु केवल Digital Evidence होने से ही वह सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित अपराध की श्रेणी में नही आयेंगें। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम यथा संशोधित 2008 के अन्तर्गत वही अपराध आयेंगें जो इस अधिनियम के अध्याय 11 के अन्तर्गत वर्णित हैं। **उदाहरणार्थः- यदि किसी व्यक्ति की हत्या होती है एवं हत्या करने के पूर्व उसे, हत्या करने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने फेसबुक, वाट्सएप व अन्य किसी नेटवर्किंग के माध्यम से हत्या के आशय से बुलाया गया हो तो इसमें यद्यपि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है लेकिन इसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम का अपराध नहीं माना जायेगा लेकिन यदि हत्या करने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान छिपाकर किसी अन्य के फेसबुक, वाट्सएप व अन्य किसी नेटवर्किंग के माध्यम से बुलाया है तो ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आयेगा।**
- प्राप्त सूचना का विश्लेषण कर सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भा0द0वि0 की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराकर विधिक कार्यवाही करायी जाये।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्राविधानों का भली-भॉति अध्ययन कर मासिक अपराध गोष्ठी में अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत परिपत्रों से पुनः अवगत करा दे एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों के पंजीकरण, अनावरण एवं साक्ष्य संकलन तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की नियमानुसार गिरफ्तारी करने तथा विवेचनाओं का गुणदोष के आधार पर तत्परता से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय

15.6.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner